न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद प्रकारण संख्या 68/2018

वाद अन्तर्गत धारा 88'91–188–92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. हरीराम पुत्र श्री बस्तीराम जाति कुम्हार साकिन 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. शंकर लाल पुत्र श्री बस्ती राम जाति कुम्हार गांव मोटा पन्नीवाला तहसील डब्बावाली जिला सिरसा हरियाणा .....(मृतक)

1/1 श्रीमति गुडडी उर्फ पुष्पा पत्नी शंकर लाल जाति कुम्हार गांव मोटा पन्नीवाली तहसील डब्बावाली जिला सिरसा हरियाणा

1/2 रामगोपाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति कुम्हार गांव मोटा पन्नीवपालाा तहसील डब्बावाली जिला सिरसा हरियाणा

1/3 मोहन लाल पुत्र श्री शंकर लाल जाति कुम्हार गांव मोटा पन्नीवाला तहसील डब्बावाली जिला सिरसा हरियाणा

1/4 मनोज कुमार पुत्र श्री शंकर लाल जाति कुम्हार गांव मोटा पन्नीवाली तहसील डब्बावाली जिला सिरसा हरियाणा

2. चेतराम पुत्र श्री बस्ती राम जाति कुम्हार गांव मोटा पन्नीवाला तहसील डब्बावाली जिला सिरसा हरियाणा।

3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88'91–188–92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा – – वादी
2. श्री मोहनलाल माहर – – प्रतिवादीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10.07.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से चक 4 एमएल ए तहसील किला श्रीगंगानगर के खात संख्या 99/77 मुरब्बा नम्बर 16 में किला नम्बर 11 ता 25 में 3.794 हैक. मुरब्बा नम्बर 32 किला नं. 24/2 (0.164 हैक.), 25(0.253 हैक.), कुल 0.417 हैक. मु.नं. 33 किला नं. 7 (0.253 हैक.), 11 ता 24 में (3.288 हैक.) कुल 7.499 हैक. भूमि खातेदारी दर्ज कागजात राज थी। जमाबंदी की नकल शामिल है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सगे भाई हैं तथा आरसा करीब 30 साल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

पूर्व वादी तथा प्रतिवादीगण ने आपस में घरू विभाजन आपसी सहमति से किया गया। जिसके अनुसार निम्न प्रकार से रकबा प्रत्येक के कब्जा काश्त में आया तथा आज तक इसी प्रकार से ही कब्जा काश्त में चला आ रहा है तथा प्रत्येक करीब अपने अपने हिस्सा में आने वाली भूमि का ही काश्त करता व मामला लगान अदा करता आ रहा है।

वादी के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरण– चक 4 एमएल तहसील श्रीगंगानगर के मु.नं 16 के किला नं. 14(0.168), 15(0.253), 16(0.253), 17(0.169), 24(0.169), 25(0.253) मुरब्बा नम्बर 33 किला नं. 7(0.240), 13(0.232), 14(0.240), 24(0. 253) 25(0.253) कुल योग 2.483 हैक.

शंकर लाल प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा कब्जा में आई भूमि– चक 4 एमएल तहसील श्रीगंगानगर के मु.नं. 16 के किला नं. 12(0.085) 13(0.253), 14(0.085), 17(0.084), 18(0.253), 19(0.084), 22(0.084), 23, 24 कुल 1.265 हैक., मुरब्बा नम्बर 32 किला नं. 24(0.164), 25(0.253) कुल 0.417 हैक., मुरब्बा नं. 33 किला नं. 11(0.253), 20(0.253), 21(0.253), 22(0.042) कुल 1.218 हैक.

चेतराम प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा कब्जा की आराजी – चक 4 एम एल मुरब्बा नं. 16 किला नं. 11(0.253), 12(0.168), 19(0.169), 20(0.253), 21(0.253), 22(0.169) कुल कुल 1.265 हैक. मुरब्बा नं. 33 किला नं. 12(0.240), 13(0.008), 18(0.253), 22(0.211), 23 (0.253), 19(0.253) कुल 1.218 हैक.

हरीराम शंकर लाल चेतराम तीनों के नाम व हिस्सा की भूमि चक 4 एमएल के खाता संख्या 99/77 मु.नं. 33 किला नं. 7(0.013), 12(0.012), 13(0.013), 14(0.013) कुल 0.052 हैक. बहिस्सा बराबर बराबर।

उक्त रकबा चक 4 एमएल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 99/77 मु.नं. 16, 32, 33 के रकबा का विभाजन बाहमी करते समय टकण की गलती के कारण वादी के हिस्सा कब्जा की भूमि चक 4 एमएल के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 7, 13 , 14, 17, 24 की 1.218 हैक. शंकर लाल के नाम से सहवन से दर्ज हो गई व शंकर लाल की भूमि कब्जा काश्त व हिस्सा की मु.नं. 32 के किला नं. 24, 25, व मु.नं. 33 के किला नं. 11, 20, 21, 22 की 1.218 हैक. भूमि वादी के नाम से दर्ज हो गई व इसी के आधार पर इन्तकाल नं. 271 दिनांक 4.6.2003 को दर्ज हो गया । जबकि चेतराम के नाम से भूमि सही दर्ज रही केवल टंकण की गलती के कारण बाहूमी बंटवारा में वादी व प्रति. की उक्त भूमि सहवन से गलत दर्ज हो गई इसको सुधार करवाने की कोशिश की मगर यह कहा गया कि इस में केवल दावा के द्वारा ही घोषणा करवाई जा सकती है। किसी तरह से अपील में इस गलती का सुधार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से यह केवल टंकण की गलती रही है वरना कब्जा काश्त में वाद पत्र की मद 3 के अनुसार ही रकबा वादी व प्रतिवादी 1–2 के कब्जा काश्त में चला आ रहा है तथा वादी अपने कब्जा काश्त की भूमि को ही अपने नाम से खातेदारी घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है तथा इसका अधिकारी भी है। वादी का वाद पत्र की मद 3 में अंकित भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 की देखा देखी जानकारी सहमति से ही कब्जा चला आ रहा है। अतः उसका कब्जा हर प्रकार से प्रतिकूल भी हो चुका है तथा वह कब्जा काश्त के अनुसार ही भूमि अपनी खोदारी घोषित करवा कर दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। इस प्रकार से बाहमी विभाजन के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1379 दिनांक 02.05.2003 व इसके आधार पर हुए इन्तकाल नं. 9271 दिनांक 04.06.2003 शुरू से ही प्रभाव शून्य था। वादी के अधिकारों पर बेअसर है। क्योंकि टंकण की गलती से रकबा वादी का प्रति. 01 के नाम से मु.नं. 33 का दर्ज हो गया व प्रति. का मु.नं. 32–33 का वादी के नाम से दर्ज हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

इसकी हद तक आदेश व इन्तकाल स्पष्ट ही गलत है तथा वादी है तथा वादी के अधिकारो पर बैअसर हे व शुन्य है तथा वादी कब्जा काश्त के आधार पर प्रतिकुल कब्जा के आधार पर व विभाजन में आए सही रक्बा के कब्जा काश्त के आधार पर वाद पत्र की मद 3 में अकिंत भूमि को ही अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा दावा हाजा लाना जरूरी हो गया है। इस गलती के कारण वादी के नाम से खाता स0 153199 व प्रति 01 के नाम से 1311126 मै रक्बा गलत दर्ज हो गया है। वादी ने अपने कब्जा कास्त की भूमि वाद–पत्र कीमद 3 में अंकित में साल से अधिक समय से काबिज होने व सुधार करके काबिल काश्त बनाया है तथा वह और अधिक सुधार करवाना चाहता है मगर मु0नु0 33 का किला न0 7–13–14–17–24 का 1.218 है0 भूमि प्रति 01 के नाम से दर्ज होने के कारण उसके लिए सुधार करवा पाना संभव नहीं हो रहा है। अतः वादी के लिए अपने कब्जा काश्त की भूमि को ही खातेदारी दर्ज करवाकर मामला लगान कायम करवाना जरूरी हो गया है। इसलिए दावा हाजा लाना जरूरी है ताकि वादी अपने कब्जा काश्त के सही रक्बा में और अधिक सुधार कार्य करवाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें।

यह कि वादी ने प्रति0 से बार बार आग्रह किया कि वह वाद–पत्र कीमत 3 में अकित भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार व हक्दार मान लेवे व कागजात राज में इस के अनुसार दर्ज करवाए व सहमति विभाजन में टकण की गलती से जो तहसीलदार ने आदेश कमाक 1379 दिनांक 02.05.03 पारित किया व इसके आधार पर इन्तकाल न0271 दिनाकं 04.06.2003 दर्ज हुआ इसमें भी आंशिक गलती जो हुई है वह शुरू से ही शुन्य प्रभाव होना मान कर व वादी के अधिकारों पर बेअसर मान कर वादी को वाद पत्र कीमद 3 में अंकित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर भी खातेंदार कास्तकार हक्दार मान लेवे कागजात राज में दर्ज करवाए मगर वादी के भूमि में सुधार कर लेने के कारण अब प्रति 01 के मन में गलत लालच आ गया है, वह टाल मटौल करते हुए दिनांक 25–12–2012 को साफ इन्कारी हो गया। अतः यही वादी को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। है। वादी द्वारा वाद का निम्न प्रकार से डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया :–

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की जारी की जावे कि चक 4 एम एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 99177 (जमाबन्दी सन् 2003) मु0न0 16–32–33 की कुल 7. 4990 हैक. भूमि जो कि वादी प्रतिवादी 2–3 की मुश्तरका खाता में दर्ज थी का विभाजन बाहमी करते समय टकण की गलती के कारण मु0न0 33 का किला न0 7(0.240), 13(0.232), 14(0.240), 17(0.253), 24(0.253) का 1.218 हैक. वादी के कब्जा काश्त बहिस्सा की भूमि प्रति01 के नाम से बाहमी विभाजन में दर्ज होकर तहसीलदार का आदेश कमांक 1379 दिनांक 02–05–2003 में दर्ज हो गया। उसका वादी को खातेदार घोषित करते हुए प्रतिकूल कब्जा के आधार पर की खातेदार घोषित करते हुए वादपत्र की मद 3 में अकिंत मु0न0 16 व 33 का कुल 2.483 है का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने मामला लगान कायम करने उक्त आदेश तहसीलदार व इसके आधार पर हुए इन्तकाल न0 271 दिनांक 04–06–2003 को उक्त रक्बा की हद तक शुन्य घोषित करने का आदेश फरमाया जावे व इस के आधार पर प्रति. 2 के नाम से जो रक्बा राजस्व रिकार्ड में वर्तमान खाता संख्या 131 1126 मु0 न0 33 के किला न0 7,13,14,17,24 का 1.218 हैक. की हद तक इन्दाज हटा कर वादी के नाम से दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे जमाबंदी की नक्ल शामिल है तथा वादी के नाम से दर्ज खाता स0 153199 मु0 न0 32 किला न0 24–25 व मु0न0 33 किला न0 11, 20, 21, 22 का कुल 1.218 है प्रति 01 के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया जावे जमाबन्दी की नक्ल शामिल है।

(ख) खर्चा मुक्दमा दिलाया जावे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो कि वादी के हित में हो वह भी प्रदान कि जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 16.01.2017 को जवाबदावा पेश हुआ जिसके तथ्यानुसार मु.न. 16, 32, 33 की कुल 7.499 हैक्टर कृषि भूमि **वादी तथा प्रतिवादीगण की मुर्शतका खाता की कृषि भूमि थी। जिसका विधिवत रूप से** सक्षम अधिकारी द्वारा **विभाजन किया जा चुका है। विभाजन का** अमल दरामद भी **राजस्व रिकाई में किया जा चुका है। इसलिए विभाजित कृषि भूमि का पुनः विभाजन नही किया जा सकता है।** वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 का कब्जा काश्त नहीं है। बल्कि प्रतिवादीगण के पास चक 4 एम के मु.न. 16 के किला नम्बर 12, 12, 14, 17 ता 19, 22 व 24 की 1.128 हैक्टर कुल 2.393 हैक. रकबा है। जो की राजस्व रिकार्ड कु अनुसार दर्ज खाता है। उपधारा (घ) के अनुसार सहमति से मु.न. 33 के किला नम्बर 7,12,13 व 14 के प्रत्येक की 0.013–0.013 हैक्टर कुल 0.052 हैक्टर कृषि भूमि को रास्ते हेतु सहमति से छोड़ी गई है। वादी द्वारा स्वच्छ हाथों (Clean Hands) से वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया बल्कि वादी एक प्रतिवादीगण के पूर्वज तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सहमति से तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के समक्ष सहमति से विभाजन का वाद पूर्व में प्रस्तुत किय गया था जो दिनांक 02.05.2003 को स्वीकृत फरमाया गया था। जिसका राजस्व रिकार्ड में इंतकाल संख्या 217 दिनांक 04.06.2003 को स्वीकृत किया गया। यही नहीं तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 02.05.2003 को अपील के माध्यम से वादी द्वारा बअनवादी अपील हरीराम बनाम शंकरलाल, अपील संख्या 21/2011 द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलैक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष चुनौतिग्रस्त किया गया जो अपील दिनांक 19.10.2012 को अस्वीकृत दी गई। अस्वीकृत आदेश दिनांक 19.10.2012 के विरूद्ध कोई भी अपील, निगरानी अथवा रिव्यु नहीं होने से अंतिम हो चुका है। इस प्रकार प्रतिकुल कब्जा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तहसीलदार, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 02.05.2003 की तथा इंतकाल संख्या 271 दिनांक 04.06.2003 को किसी टंकण की मूल अथवा प्रभाव शून्य आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया, आदेश प्रभावशाली आदेश है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2003 के विरूद्ध अपील दिनांक 19.10.2012 को होने से का Principal Of Meger सिद्धांत लागु होने के कारण पुनः वादी घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है और ना ही प्रतिकुल कारणों के आधार पर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। प्रश्नगत् कृषि भूमि पर प्रत्येक खातेदार विभाजित कृषि भूमि पर अपने–अपने हिस्सा पर काबिज काश्त है इसलिए सुधार करने का समय ही पैदा नहीं होता और ना ही लगान जमा करवाने का। चुंकि उभयपक्ष द्वारा पूर्व से की रकबा विभाजित हो चुका था। वादी कभी भी नहीं मिला चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/4 के पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी थी वादी ने महज दावा के वाद कारण उत्पन्न करने के लिए दिनांक 25.12.2015 का अंकन किया है। चूंकि वादी को अपील दिनांक 19.10.2012 को निरस्त होने से पूर्व जानकारी थी। इसलिए प्रतिवादीगण के पिता से मिलने तथा अनुरोध करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वाद कारण के अभाव में वाद निरस्ती योग्य है। प्रश्नगत कृषि का पूर्व में ही सक्षम अधिकारी द्वारा विभाजित किया जा चुका है इसलिए विभाजित कृषि भूमि का पुनः विभाजन क्षेत्राधिकार श्रीमान् जी को प्राप्त नहीं है। अतः वाद निरस्ती योग्य है।

राज्य पक्ष की ओर से दिनांक 21.12.2017 को जवाब स्टेट पेश किया गया जिसके अनुसार भूमि विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। परन्तु वाद के अनुसार–विभाजन खातेदारों का पूर्व में आपसी सहमती से किया हुआ है। अब अगर दावा नुकर भूमि का निस्तारण किया जाता है तो सीधा हस्तान्तरण है। जो राज्य की आर्थिक (स्टाम्प ड्यूटी) का नुकसान होता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विविद्यको का निर्धारण किया गया

1. आया कि वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कागजात राज थी?
2. आया कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्यों के अनुसार सहमति से कर लिया एवम् इसी अनुसार अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज है?
3. आया कि वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्यों अनुसार अपनें खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा पानें एवम् नामान्तरकरण संख्या 217 दिनांक 04.06.2003 को शुन्य घोषित करवा पानें का अधिकारी है?
4. आया कि वाद ग्रस्त भूमि का विभाजन सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में किया चुका है तो उसका वाद पर क्या प्रभाव है?
5. आया कि परस्पर सहमति के आधार पर पारित विभाजन आदेश दिनांक 02.05.2003 के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 21/2011 दिनांक 19.10.2012 को अतिरिक्त जिला कलैक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर नें अस्वीकृत कर दी तो उसका वाद पर क्या प्रभाव है?
6. आया कि वादी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बंध में पुनः दावा तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया है?

वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में निर्धारित किये गये विवाद्यक के अनुसार दिनांक 24.12.2018 वादी हरिराम एवं दिनांक 07.02.2019 को वादी की ओर से गवाह रविशंकर के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

प्रतिवादी की ओर से दिनांक 07.02.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसके कथनानुसार उपरोक्त अनुवानी वाद अपार्थी/वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि चक 4 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 16 के 5.7894 हैक्टेयर मुरब्बा नम्बर 32 की 0.417 हैक्टेयर तथा मुरब्बा नम्बर 33 की 3.288 हैक्टेयर कुल 7.499 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी दर्ज है तथा वाद पत्र के पैरा 3 के अनुसार विभाजन किया गया था लेकिन ईन्तकाल संख्या 271 दिनांक 04.06.2003 से वादी के कब्जे की कृषि भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई। जबकि कब्जा वादी का शुरू से है और जो प्रतिफल हो चुका है। वाद पत्र के पैरा संख्या 5 के अनुसार बाहरी बंटरवारानामा के आधार पर तहसीलदार के आदेश क्रमांक 1379 दिनांक 04.06.2003 शुरू से प्रभाव शून्य व वादी के अधिकारों पर प्रभाव शून्य है। इसलिए प्रशनगत कृषि भूमि जो वादी के कब्जा में खातेदारी घोषित की जाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।प्रार्थी/प्रतिवादी के जवाबदेही के अनुसार प्रश्नगत् कृषि भूमि का विविधत् रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में दिनांक 02.05.2003 किया जा चुका है तथा जिसका इन्द्राज भी राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण संख्या 271 दिनांक 04.06.2003 किया जा चुका है। बंटवारानामा दिनांक 02.05.2003 के विरूद्ध वादी ने अपील ने अपील प्रस्तुत की जिसके विरूद्ध कोई अपील, निगरानी अथवा रिव्यु नही होने से अन्तिम हो चुका है। वर्तमान वाद पूर्व में समक्ष न्यायालय द्वारा विधिवत् बंटवारे के विरूद्ध पुनः बंटवारे हेतु प्रस्तुत किया है जो स्पष्टतया विधि द्वारा बाधित होने से निरस्ती किये जाने योग्य है। प्रतिवादी के वाद का अनुतोष भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किसी प्रकार से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र को इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

वकील वादी द्वारा दिनांक 20.05.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 इस हद तक स्वीकार है कि चक 4 एम एलस तहसील श्रीगंगानगर का मुरबा न0 16 में 5.7894 हैक्टर रकबा में से घरू तौर बंटवारा होने पर वादी के पास चक 4 एम एल का मुरबा न0 16 का किला न0 14 के 0.168 हैक्टयर 15 में .253 हैक्टयर 17 का 0.169 हैक्टयर 24 में .168 हैक्टयर 25 में 0.253 हैक्टयर मुरबा न0 33 में किला न0 7 का 0.240 हैक्टयर 13 का 0.232 हैक्टयर 17 का 0.240 हैक्टयर 24 का 0.253 हैक्टयर का कब्जा चला आ रहा है अब मौका मौका पर वादी क़ब्जा है। यही रकबा वादी को दिया जाना चाहिए लेकिन गलती की वजह से जो वादी का कब्जा व प्रतिवादी स0 1 के नाम कर दिया जब कि उसका कब्जा आज भी प्रतिवादी के पास है इसलिए जो इंतकाल तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा तस्दीक किया गया वह शून्य है। बंटवारा के समय वादी मौजूद नहीं था बल्कि वादी बिमार था तथा होस्पीटल में भर्ती था। इसलिए वादी द्वारा बंटवारा नहीं किया गया। पूर्व में घरू बंटवारा हो चुका था उसी अनुसार काबिज चले आ रहे है अब भी मौका पर उसी अनुसार कब्जा चला आ रहा रहा है। तनकीयात बरामद हो चुकी है। वादी द्वारा शहादत में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रखें है। मुकदमा अन्तिम स्टेज पर है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किय–

1- [Citation : 2014 (3)DNJ (Raj.)976]
2- [Citation : 2016 (3)DNJ (Raj.)1151]
3- [Citation : 2019 (1)DNJ (Raj.)3]

वकील प्रतिवादीगण की ओर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये –

2019 (1) RRT 417

विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर मनन किया गया। अधिवक्तगण द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त का सहसम्मन अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं तथ्यों का अवलोकन किया गया। वाद पत्र में पूर्व में वादी एवं प्रतिवादगण के मध्य भूमि का विभाजन होने के पश्चात् विधिवत इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। भूमि के पुनः बंटवारा हेतु पक्षकारान द्वारा पुनः वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद के अनुतोष से भूमि का हस्तान्तरण होना सिद्ध होता है। पक्षकारान में एक बार विधिवित विभाजन होने के पश्चात् पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(डी) सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिंनाक 10.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर